UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Political Science
Research Link - 171, Vol - XVII (4), June - 2018, Page No. 66-68
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Ambedkar's Educational Philosophy- A Kaledoscopic View

Dr. Bhim Rao Ambedker was a well-known teacher himself. He established People's Education Society in Bombay and Aurangabad to educate the students of Dalit community. His educational philosophy is reflected in his lectures, his published articles in various magazines and his work in the educational institutions. The present paper is concerned with his educational philosophy. According to him school is a holy institution where the minds of students are made well cultured. School is a factory of making good citizens. Education is a lifelong continuous process and teacher is the major part of it. The education of women is also important like the education of men. Education is the way of freedom from exploitation. It awakens the society and helps to make it self-dependent and self-confident. The researchers tried to discuss the educational philosophy of Dr. Bhim Rao Ambedker in the form of his ideas about school and educational institution, education and students and role of teachers in the education of students. Key Words : Education, School, Students, Teacher.

H. RAVIKUMAR

Introduction :

Education is the process by which man has made the great positive changes in the society and the lifestyle. The importance of education cannot be stated enough. It is a self-enlightening process. It is crucial to the overall development of an individual and the society at large. Education for all means has been the most important debate in all stages of society, progress and development. This might build in you the question as to why everyone is running behind education? What is it that makes us bind to education and makes it the centre of attraction to all the aristocrats, lawmakers, parents and elders? Education isn't about my marks or your standard; it's about knowledge and how well you are aware of the happenings around you. A person who is awakened knows what's best for him/her, knows the difference between right and wrong and that's when he is known as educated (Waghmare, S., 2015). Without education Dr. Babasaheb Ambedkar could not become a Doctor and could not write constitution of India. Education can build a character of a person. It can help ones country to further to the future, like our great heroes did. Named, legend Dr. B. R. Ambedkar sets a good example by taking a higher education to solve these legend cannot put his footsteps in front of this issue then may be the problem of dalits and also on untouchability. He is one of such great thinker, leader and intellectual of its time in India who has not only changed the life of millions of untouchables but shaped India as a biggest democratic nation in the world by writing its constitution. Education is most important among all of us. Education plays a very important role in our life. For living a luxurious life or for living a better life, you should be educated. Education is that which transforms a person to live a better life and even in a social well-being. Education is the one that doing something constructive in our near future. Education plays a vital role in success in the personal growth. The more you have knowledge the more you grow. Being educated and earning a professional degree prepares you to be a part in reputed organizations, companies or institutions. A person who gets good education will become good citizen.

Education is Important, Why? :

We live in an ever progressing and developing society. Education in this society is not only a demarcation of the wealthy and poor but also of the uneducated and educated. The reputation of the person depends upon the educational qualifications. Society being a cluster of different types of people and to deal with each one needs the knowledge of the system as well as rights & duties which are known through the medium of education (Meshram, N. U. 2015). If we will not educate the child he will harm the social life and society. By education he learns to live in the society, the ways and means of the life style and the value system. The society and nation expect remarkable contribution from the hands of highly qualified and educated person. The foundation of higher education is laid in our elementary schools. So,

Lecturer in Political Science, Govt. Degree College, Mydukur Town, YSR Dist. (Andhra Pradesh)

elementary schools should be strengthened by material and manpower to produce good material for higher educational institutions. The higher qualified people are the foreman of educational factory.

School and Educational Institution :

According to Dr. Bhim Rao Ambedker, “School is a holy institution where the minds of the students are cultured”. The regular working in the schools should be organized in a disciplined manner. School is the factory of making good citizens. The skilled foreman of this institution converts the raw material into a good quality product. Babasaheb started the model educational institution by establishing People's Education Society. The preference should be given to higher educational qualifications irrespective of caste and creed while appointing the teachers in the educational institutions. He given importance to the admissions of students belonging to dalit community in his institution but, the teacher of the school should be higher qualified belonging to any caste or category. He supported the co-education by saying that women should be given equal opportunity along with men to educate themselves.

Education and Students :

Dr. Bhim Rao Ambedker had served in various educational institutions as professor till years. So, he had deep understanding of the minds of the students. He said that the self confidence of the students should be raised through education and the students should not lose their self confidence at the time of examination or using the learned skill. He stressed the value education and said that students should self reliant the knowledge, intellect, politeness and strict discipline into their behavior and character. Politeness is required along with the knowledge and knowledge without politeness is useless. He also said that social emotions should also be incorporated in the students through educational process. According to Babasaheb, “To score good marks in the examinations and to get the degree is a separate issue, but, to be cultured, knowledgeable and educationist is totally different. The teacher should understand the basic problems and loopholes in the education of the students. The ability to create something new, to find the answer of questions in a logical way, to express oneself with confidence, to put the inner ideas properly in front of audience and the basic knowledge of the concepts are absent in the students.” (Bhagayaya, 2015). The students should be shaped as per the need and requirement of the society and nation. The curriculum and teaching material should be framed by taking into consideration the culture, customs, duties, economy, historical perspectives, knowledge about the various societies and logical thinking in the students.

Education and Teachers :

Babasaheb himself was innovative and creative teacher. According to him education is a continuous process and the teacher provides the real base to it. Therefore, education and ability depends entirely upon authentic knowledge, self reliance, learning attitude and delivering skill of the teacher. He adopted the triangular formula of 'VACHAN-MANAN, THICHTHAN and AYATHAN' in his teachings. Due to this formula he himself became a good teacher and in broader sense a social teacher. A teacher should be multifaceted. He should be sharp minded and choosey character. He is the national builder because education is in the hands of teacher and the development of a nation depends upon educated manpower. So, every educational institution should have intellectual, positivist and kind hearted teachers to teach the poor and baseline students.

Education and Knowledge :

The view of Dr. Ambedker about the knowledge is quite broader and ideal. Knowledge means light. This light should become the base of social, economic and moral development of man. The context of knowledge should be social and education is the weapon by which man can be free from exploitation raise the revolution against slavery. He says that intellect is like a sword and every society and group recognizes the man bearing it. The cleverness and intellectuality need good character and politeness. If the people become educative without these then the nation and society will be destroyed. The education is that which builds man and unique combination of knowledge and intellect is equal to education. The achievement of self-reliance through the knowledge is the main purpose of education.

Education is Equivalent to Food :

Babasaheb says by stressing on progress of literacy and development that to admit a child in a school is not surety of his being literate. The development of the ability to make him literate and educate till whole of the life is the purpose of the school or educational institution. The child should not drop out of the system till the achievement of the basic goal. Education is equivalent to food which is needed daily till whole of our life.

Education and Society :

Social change is a continuous process. The way of social change is processed through education. Bhim Rao Ambedker says in this context that it is important to have the strong attitude of accepting the changes in the society for giving speed to the process of change. PADHO AUR PADHAO(LEARN AND TEACH) is reflected in the social educational philosophy of Babasaheb. No society will be awakened without the process of education. He stressed that the social and behavioural inequalities in the society can be removed through the medium of education. Babasaheb says that the socialization and moralization of man is the purpose of education because education lays the foundation of culture and civilization.

Conclusion :

Take education, be united and do the struggle' is the main message of Babasaheb to the society and nation. Education keeps at the first place in this message. He says that education and society have a bounded relationship because the progress and development of society is possible only through education. The power of making the man free

from exploitation and slavery comes from education. He has discussed about elementary education, higher education and university education, the progress of literacy and importance of education for all. He has given importance to behavioral aspect of education along with the structure of education. The epistemological, axiological, sociological, responsibilities of students, role of teachers, eligibility for teachers and responsibilities of schools and colleges and the reservation in education are reflected in his lectures. The broad-based attitude of education for all the communities is clear in his philosophy.

References **:**

(1) *Bhagyaya (2015). Anupam Rashtra Bhagat. Panchjanya, April, 2015, pp. 16-20.*

(2) *Meshram, N. U. (2015). Why is Education Important? Retrieved from http://www.baiae.org/resources/articlesessays/114why-education-is-important.html on 15/05/2015.*

(3) *Waghmare, S. (2015). Why is Education so Important? Retrieved on 23/10/2015 from http://www.baiae.org/resources/articles-essays/115-why-is-education-so-important.html.*

☸☸

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Political Science
Research Link - 171, Vol - XVII (4), June - 2018, Page No. 69-71
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

अनुसूचित जाति के अधिकारों की स्थिति : जनपद पौड़ी का एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में अनुसूचित जाति के अधिकारों की स्थिति का अध्ययन, जनपद पौड़ी के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति के अधिकारों की स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से जनपद पौड़ी से 300 जनसाधारण उत्तरदाताओं से सामाजिक अनुसंधान की सर्वेक्षण पत्रति का प्रयोग करके निष्कर्ष स्थापित किये गये तथा पाया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ने के साथ-साथ इनकी सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार आया है। कुँजी शब्द : वर्ण व्यवस्था, सर्वेक्षण पद्धति, सामाजिक न्याय, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति।

डॉ.शशी प्रभा

प्रस्तावना :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में विभिन्न धर्म पंथ व जाति के लोग रहते हैं। वर्तमान समय में भारत में करीब तीन हजार जातियाँ व उपजातियाँ हैं। भारत में जाति हिन्दुओं में सबसे अधिक है, परन्तु मुसलमान, इसाई भी इससे अछूते नहीं है। जाति और उपजाति में विभाजित भारतीय समाज में संगठन और एक रूपता का अभाव था।[1] ब्राह्मण वर्ग ने भारत के राजनीतिक शासकों पर अपना प्रभाव स्थापित करके उन्हें इतना अधिक कर्मकाण्ड व बंधनों में जकड़ दिया था कि वे लोग युद्ध और धर्मिक अनुष्ठानों के द्वारा अपना अस्तित्व बनाने में तल्लीन थे।[2] उन लोगों ने अर्थव्यवस्था का उत्तरदायित्व शूद्रों पर छोड़ दिया था। अनुसूचित जातियाँ (एस0सी0) हरिजन, अर्थात् ईश्वर की संतान के नाम से जानी जाती है। हिन्दू जाति व्यवस्था के क्रम में इनका स्थान सबसे नीचे रहने के कारण ये लोग अवर्ण कहलाते हैं, अर्थात वे व्यक्ति जिनका स्थान चातुवर्ण्य व्यवस्था से बाहर है।[3] अनुसूचित जाति के लोगों को भारतीय समाज में प्राचीन काल से शोशित, अछूत एवं अत्जंय माना जाता रहा, विभिन्न कालखण्डों में शासन सत्ता में परिर्वतन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज के स्वरूप में परिर्वतन होता रहा है, किन्तु जातिगत संरचना सदैव बनी रही।[4] निम्न जातियों को अछूत जाति की संज्ञा दिये जाने के कारण अनेक व्यवसायों में उनका प्रवेश असम्भव हो गया। इन्हें अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। इस कारण इनकी स्थिति दयनीय हो गयी।[5] स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय की स्थापना को संविधान में शामिल किया, ताकि जातीय समाज में सामाजिक आर्थिक एवम् राजनीतिक न्याय की स्थापना की जा सके। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जो 1990 में अस्तित्व में आया।[6] यह दलितों के कल्याण के लिए है। प्रस्तुत शोध पत्र के लिए उत्तराखण्ड की पौड़ी जनपद का चयन किया गया है। पौड़ी जनपद का अधिकांश भाग पर्वतीय है।[7] यहाँ अनुसूचित जाति की जीवन शैली मैदानी भाग में निवास करने वाली अनुसूचित जाति की जीवन शैली से भिन्न है।

उद्देश्य : प्रस्तुत शोधपत्र में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

प्रथम, उत्तराखण्ड के पौड़ी जनपद में अनुसूचित जाति के अधिकारों की स्थिति ज्ञात करना है

द्वितीय, पौड़ी जनपद में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति का पता लगाना।

तृतीय, पौड़ी जनपद में अनुसूचित जाति की राजनीतिक स्थिति का पता लगना।

शोध परिकल्पना :

शोध पत्र के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं के परीक्षण को माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया है :

(1) स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है।

(2) स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।

(3) स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोगों की राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है।

अध्ययन क्षेत्र :

उत्तराखण्ड राज्य के पौडी जनपद को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुनागया। यह जनपद 5440 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक दायरे में बसा है। यहाँ अनुसूचित जाति की कुल संख्या 18,92,576 है, जो

प्राचार्या, एम.वी.पी.जी.कॉलेज, सतीकुण्ड, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

राज्य की जनसंख्या का 18.8 प्रतिशत है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में 15 विकासखण्ड है।[7] इन पन्द्रह विकासखण्डों में से छः विकासखण्डों का चयन आबादी के घनत्व के आधार पर सौद्देश्य प्रतिदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है। इन चयनित छः विकासखण्डों – दुगडढ़ा द्वारीखाल, पौड़ी, लैंसडाउन, यमकेश्वर व कोटद्वार में निवास करने वाली अनुसूचित जाति के सदस्यों से सूचना एकत्र की गयी है।

अध्ययन पद्धति :

सामाजिक अनुसंधान की सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करते हुए जनपद पौडी गढ़वाल के चयनित छः विकासखण्डों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति के समस्त जनसाधारण को शोध पत्र की जनसंख्या माना गया है। प्रस्तुत शोध के लिए 300 अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है। प्रतिदर्श का चयन करते समय आयु, वर्ग, शैक्षिक स्तर, एवम् आर्थिक संरचना को ध्यान मे रखा गया, ताकि अधिक सारगर्भित आँकडो को प्राप्त किया जा सके। सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्वरचित अनुसूची का प्रयोग किया गया।[8] एकत्रित सूचनाओं में साख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके निष्कर्ष स्थापित किये गये हैं।

उत्तरदाताओं से अनुसूचित जाति के अधिकारों की जानकारी के विषय में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न किया गया कि क्या अनुसूचित जाति के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी है, उसके उत्तर से सम्बधित समंक तालिका सं01 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1 : क्या अनुसूचित जाति के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी है

क्या अनुसूचित जाति के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी है?	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	280	93
नहीं	14	05
कह नहीं सकते	06	2
योग	300	100

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

तलिका सं0 1 से स्पष्ट है कि 93 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उत्तरदाताअपने अधिकारों की जानकारी रखते हैं, 5 प्रतिशत उत्तरदाता जो अशिक्षित हैं, अपने अधिकारो से अनभिज्ञ हैं। इसके अलावा 2 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध मे कोई जवाब नहीं देते हैं। अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के विषय में प्रश्न किया गया जिसके उत्तर में निहित आँकड़ों को तालिका सं0 2 में प्रदर्शित किया गया है।

तलिका सं0 2 से स्पष्ट होता है कि 55 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि विगत दशको में अनुसूचित जातिकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 26 प्रतिशत उत्तरदाता सुधार को अस्वीकार करते हैं तथा 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति केविषय में कोई जानकारी नहीं रखते हैं।

उत्तरदाताओं की राजनैतिक स्थिति के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न किया गया कि क्या वे चुनाव के दौरान स्वतन्त्र पूर्वक अपने मत का प्रयोग करते हैं तथा तालिका सं0 3 के अनुसार आँकडे प्राप्त हुए हैं।

तालिका सं0 3 से स्पष्ट होता है कि 89 प्रतिशत उत्तरदाता

तालिका 2 : क्या विगत दशकों में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है?

क्या विगत दशको में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है?	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	164	55
नहीं	78	26
कह नहीं सकते	58	11
योग	**300**	**100**

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका 3 : क्या आप चुनाव में स्वतन्त्रतापूर्वक मत का प्रयोग करते हैं?

क्या आप चुनाव में स्वतन्त्रतापूर्वक मत का प्रयोग करते हैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	268	89
नहीं	28	10
कह नही सकते	04	01
योग	**300**	**100**

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

चुनाव के दौरान स्वतन्त्रता पूर्वक अपने मतदान का प्रयोग करते हैं तथा 10 प्रतिशत उत्तरदाता स्वतन्त्रतापूर्वक अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं तथा 1 प्रतिशत उत्तरदाता इस विशय मे कोई उत्तर नहीं देते हैं।

निर्वचन :

(1) उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं का बड़ा वर्ग (लगभग 93 प्रतिशत) अपने अधिकारों की जानकारी रखता है, किन्तु जानकारी होने के बावजूद शिक्षित अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अपने अधिकारों का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं करते हैं।

(2) पौड़ी जनपद में अनुसूचित जाति का बड़ा भाग सामाजिक सभाओं में स्वतन्त्रतापूर्वक सहभागिता करता है। इसके अलावा उच्च वर्ग के द्वारा अनुसूचित जाति के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं, परन्तु भेदभाव के काफी उदाहरण अभी भी समाज में मौजूद हैं। सामाजिक सुधार के विषय में अनुसूचित जाति के आधे से अधिक उत्तरदाता सामाजिक सुधार को स्वीकार करते हैं।

(3) अनुसूचित जाति में अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि चुनाव के दौरान वे स्वतन्त्रता पूर्वक अपने मत का प्रयोग करते हैं।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में लगातार वृद्धि के साथ–साथ अनुसूचित जाति के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। जिस कारण इस जाति के लोगो ने निरन्तर अपनी सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति मे बदलाव लाने का प्रयास किया है, ताकि अनुसूचित राजनीति के लोग भी समाज में सम्मानपूर्ण एवं गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। जहाँ तक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, अनुसूचित जाति की सामाजिक एवम् राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन निश्चित तौर पर हुआ है, किन्तु गाँधी, अम्बेडकर जैसे समाज सुधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप अभी भी समाज में

बदलाव आनाशेष है। अतः यहाँ सुधार के योजनाबद्ध प्रयास की आवश्यकता है, ताकि हम गाँधीजी के आदर्श समाज की स्थापना प्रत्येक क्षेत्र में कर सके।

नोट : यह शोध–पत्र मेरे द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुदानित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट (2016–18) पर आधारित है। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को अनुदान प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त करती हूँ।

सन्दर्भ :

(1) गुप्ता, शिवानी (2011) : भारत में जाति व्यवस्था, वन्दना पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 1.

***(2)** मिश्रा, डॉ. एम0के0 व दाधीच, कमल (2016) : गाँधी और दलित, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 8.*

***(3)** उदित, डॉ0 राज, (2006) : दलित आन्दोलन से असली ध र्म निरपेक्षता, कल्पज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 48.*

***(4)** शाह, घनश्याम (2009) : भारत में सामाजिक आंदोलन; रावत पब्लिकेशन जयपुर, पृ. 105.*

***(5)** सिंह, महेन्द्र प्रसाद (2011) : भारतीय शासन और राजनीति, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ. 406.*

***(6)** खान, शिमरन (2015) : भारत में दलित आन्दोलन, आर्या पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 125.*

***(7)** नवानी, लोकेश एवं रावत, कल्याण सिंह (2016) : उत्तराखण्ड इयर बुक; विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून, पृ. 126.*

***(8)** श्रीवास्तव, डी.एन0, (2010) : अनुसन्धान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन, आगरा, पृ. 20.*

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal : **Political Science**

Research Link - 171, Vol - XVII (4), June - 2018, Page No. 72-74

ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन (रायपुर जिले की ग्राम पंचायतों के संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान सर्व जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण की योजना है तथा स्कूल की कार्य प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व की तरह विकास करने की रणनीति अपनाकर कार्य करने की योजना है। इस अभियान के अंतर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली सुविधाएँ एवं गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तथा लैंगिक विषमता को खत्म करने का लक्ष्म रखा गया है, जिसमें कि सरकारी, गैर-सरकारी तथा सामुहिक जन प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्य प्रणाली को पूर्ण करने तथा उनके उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक समुहों तथा क्षेत्रानुसार जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है।

डॉ.सुनीता मिश्रा* एवं कंचन बंजारे**

प्रस्तावना :

मानवीय मूल्यों का विकास करने में शिक्षा की अति आवश्यकता होती है। शिक्षा से व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होता है। डॉ. ए.एस. अलटेकर ने कहा है कि ''ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है, तथा उसे सही कार्यों में प्रबल करता है।''

शिक्षा में जब भी बात आती है तो एक वृहद योजना सबके सामने आती है और शिक्षा विशेषकर प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा योजना इसलिए संविधान के 86वें संशोधन में प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया है। भारतीय सांवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण शिक्षा मिशन ''राजीव गाँधी शिक्षा मिशन'' को केन्द्र शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजीव गाँधी शिक्षा मिशन द्वारा प्रदेश में ''सर्व शिक्षा अभियान'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

छ.ग. राज्य में सर्वशिक्षा अभियान का संचालन वर्ष 2001–02 से किया जा रहा है। यह अभियान केन्द्र राज्य शासन की भागीदारी से संचालित की जा रही है। इस अभियान द्वारा शिक्षा लोकव्यापीकरण करना तथा 6–14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

उद्देश्य :

(1) 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना व स्कूलों का प्रबंध कराना।

(2) क्षेत्रीय समुदाय की सहभागिता।

(3) सामाजिक कार्यों में सक्रियता।

(4) लैंगिक विषमताओं का अन्त करना।

भूमिका :

राज्य परियोजना कार्यालय :

(1) मिशन संचालक,

(2) अपर मिशन संचालक,

(3) क्रियान्वयन से संबंधित विभाग एवं उसका अमला,

(4) विभिन्न समितियाँ निम्नानुसार हैं – कार्यकारिणी समिति, नियुक्ति समिति, क्रय समिति, निर्माण कार्य समिति, अनुदान समिति।

जिला परियोजना कार्यालय :

(1) कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक,

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला परियोजना संचालक,

(3) जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक–मुख्य समन्यक,

(4) सहायक कार्यक्रम समन्वयक,

(5) जिला स्तरीय विभिन्न समितियाँ निम्नानुसार है–जिला इकाई समिति, निर्माण समिति, क्रय समिति, नियुक्ति समिति, अनुदान समिति।

विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र :

(1) विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक,

(2) विशेष स्त्रोत व्यक्ति।

संकुल स्त्रोत केन्द्र :

(1) संकुल स्त्रोत केन्द्र प्रभारी,

(2) संकुल शैक्षिक समन्वयक।

**सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग), शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई (छत्तीसगढ़)*
***शोधछात्रा, सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*

राज्य परियोजना कार्यालय :

(1) मिशन संचालक,

(2) अपर मिशन संचालक,

(3) क्रियान्वयन से संबंधित विभाग एवं उसका अमला,

(4) विभिन्न समितियां निम्नानुसार हैं – कार्यकरिणी समिति, नियुक्ति समिति, क्रय समिति, निर्माण कार्य समिति, अनुदान समिति।

जिला परियोजना कार्यालय :

(1) कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक,

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला परियोजना संचालक,

(3) जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक–मुख्य समन्वयक,

(4) सहायक कार्यक्रम समन्वयक।

विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र :

(1) विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक,

(2) विशेष स्त्रोत व्यक्ति।

विभिन्न सुविधाएँ :

(1) नवीन प्राथमिक शाला : प्रत्येक बसाहट /बस्ती के लिए एक किमी. के भीतर भवन निर्माण हेतु रूपये 10.85 लाख का प्रावधान किया जात है।

(2) उच्च प्राथमिक शाला : प्रत्येक दो प्राथमिक शालाओं या तीन कि.मी. के भीतर भवन निर्माण हेतु रूपये 11.28 लाख का प्रावधान किया जाता है।

(3) पेयजल हेतु : आवश्यकता वाले सभी शालाओं में चरणबद्ध तरीके से पेयजल सुविधा लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

(4) शौचालय : समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शासकीय विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय उपलब्ध कराया जाता है।

(5) शाला भवन मरम्मत एवं रख–रखाव : शाला भवनों की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए प्रतिवर्ष प्रतिशाला रूपये 7500/– दिए जाने का प्रावधान है।

(6) शिक्षक : प्रत्येक प्राथमिक शाला के लिए कम से कम दो शिक्षक, उच्च प्राथमिक शाला के लिए कम से कम तीन शिक्षक, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक 1:30 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 शालाओं को एक अतिरिक्त शिक्षक।

(7) शाला अनुदान : शालाओं को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति शाला में प्रत्येक वर्ष शाला अनुदान की राशि प्राथमिक शाला हेतु रू. 5000/– एवं उच्च प्राथमिक शाला हेतु रू. 7000/– दी जाती है।

(8) निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण : कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है।

(9) निःशुल्क गणवेश का प्रदाय : निःशुल्क गणवेश का प्रदाय किया जाता है।

(10) निःशक्त बच्चों हेतु सुविधाएँ : निःशक्त बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाण–पत्र, उपकरण वितरण, रैम्प का निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, लाने ले जाने की सुविधा की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 62200 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे राज्य में चिन्हांकित किये गये हैं। इन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

उपलब्धियाँ :

वर्ष	प्राथमिक शाला	उच्च प्राथमिक शाला
2002–03 से 2013–14	9842	7815
2014–15 से दिसम्बर 2015–16 तक	00	00
योग	**9842**	**7815**

निम्न कार्यो के तहत वर्ष 2002–03 से वर्ष 2015–16 (30.11.2015) तक प्रगति का विवरण

क्र.	भवन का प्रकार	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
1	प्राथमिक शाला भवन	10623	9825	483	315
2	उच्च प्राथमिक शाला भवन	8758	8346	295	147
3	अतिरिक्त कमरा (प्राथमिक शाला)	50935	45723	3748	1464
4	अतिरिक्त कमरा (उच्च प्राथ.शाला)				
5	बी.आर.सी. भवन	16	15	01	0
6	सी.आर.सी. भवन	2703	2418	182	103
7	शौचालय (बालक)	11192	10278	914	0
8	शौचालय (बालिका)	34255	31588	2667	0
9	पेयजल सुविधा	3666	3596	30	40
10	विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शौचालय	38044	29304	6703	2037
11	शाला भवन दीर्घ मरम्मत	1115	1018	26	71
12	बाउण्ड्रीवाल	9130	7091	1807	232
13	विद्युतीकरण	19570	17762	598	1210
14	प्रधान पाठक कक्ष	12131	10125	1520	486
15	आवासीय विद्यालय	60	59	1	0
16	रेम्प	28495	26562	1320	613
17	बाला कान्सेप्ट	25	25	00	00
18	आवासीय विद्यालय (हॉस्टल)	10	5	5	0
19	बी.आर.सी. प्रशिक्षण केन्द्र	150	138	11	1
20	अक्रियाशील शौचालयों की मरम्मत एवं निर्माण	4274	4274	0	0
	योग	**235152**	**208152**	**20311**	**6689**

उपरोक्त वर्षों में नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शालाओं की स्वीकृति वर्षवार निम्नानसार प्राप्त हुई है :

तालिका 1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत उत्तरदाताओं में 81.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सर्व शिक्षा अभियान के संचालन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि SSA में जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं होती। 7.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तटस्थता बनाते हुए जवाब नहीं दिया और 0 प्रतिशत ऐसा कोई भी उत्तरदाता नहीं जिसको प्रश्न समझ नहीं आया।

तालिका 1 : क्या आप इस बात से सहमत हैं कि, छ.ग. में सर्व शिक्षा अभियान के संचालन में स्थानीय जनप्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण है ?

क्र	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	245	81.6
2.	नहीं	33	11
3.	कह नहीं सकते	22	7.4
4.	प्रश्न समझ में नहीं आया	–	–
	योग	**300**	**100**

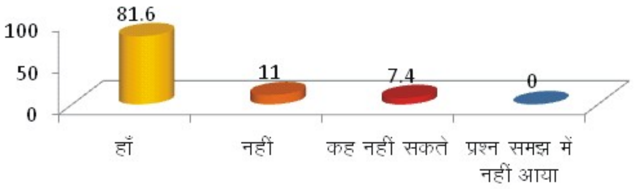

निष्कर्ष :

भारत में सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण की योजना है तथा स्कूल की कार्य प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व की तरह विकास करने की रणनीति अपनाकर कार्य करने की योजना है। इस अभियान के अंतर्गत 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली सुविधाएँ एवं गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तथा लैंगिक विषमता को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें कि सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुहिक जन प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्य प्रणाली को पूर्ण करने तथा उनके उद्‌देश्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समुहों तथा क्षेत्रानुसार जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है, जैसे कि प्रशासनिक कार्य राज्यों में राज्य कार्यालय की स्थापना तथा ब्लॉक एवं संकुलों में कार्यालय की स्थापना कर लक्ष्य को पूर्ण करना। उसी प्रकार विधायी कार्य राज्य में आवश्यकतानुसार नियमों एवं कानूनों का निर्माण कर लागू करना अप्रवेशी बच्चों के लिए कक्षा में प्रवेश हेतु रणनीति तैयार करना। विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना। बालिका शिक्षा पर जोर देना। वित्तीय कार्य में 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल सुविधा, नये विद्यालय भवनों का निर्माण, विद्यालय भवनों की मरम्मत, रखरखाव के लिए बजट तैयार कना तथा आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण कराना तथा उसके लिए बजट प्रस्तुत करना इत्यादि।

सुझाव :

(1) सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तथा शालाओं में गुणवक्ता लाने के लिए प्रधान पाठक या शिक्षकों के साथ–साथ जन प्रतिनिधियों का उत्तरदायी होना चाहिए।

(2) समय–समय पर बच्चों की उपलब्धियाँ एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन का समीक्षा किया जाना चाहिए।

(3) बच्चों के साथ–साथ क्षेत्रों में सभी को शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा कार्यक्रम के प्रति उत्साह बढ़ाना चाहिए।

संदर्भ :

(1) अग्रवाल, आर.सी. (2007) : भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, एस.सी. एण्ड कंपनी लिमिटेड, दिल्ली।

(2) वाजपेयी, सुभाष (2007) : छत्तीसगढ़ में राजनैतिक सामाजिकीकरण, कोकवाशी संस्था शाहदरा, दिल्ली।

(3) फाड़िया, बी.एल. (2000) : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन।

(4) उच्च प्राथमिक शालाओं में सक्रिय रहकर सीखने हेतु एप्रोच पेपर, छ.ग. राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर छ.ग.।

(5) प्रशासनिक प्रतिवेदन 2015–16 छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर छ.ग.।

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Political Science
Research Link - 171, Vol - XVII (4), June - 2018, Page No. 75-76
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

रायपुर विधानसभा क्षेत्र में 2013 के विधानसभा चुनाव में मतदान व्यवहार का राजनैतिक विश्लेषण

प्रस्तुत शोधपत्र में रायपुर विधानसभा क्षेत्र में 2013 के विधानसभा चुनाव में मतदान व्यवहार का राजनैतिक विश्लेषण किया गया है। रायपुर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह क्षेत्र ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। जहाँ कृषकों की संख्या भी अधिक है। शिक्षा का स्तर कम है, इसलिए मतदाताओं पर आज भी ग्रामीण मुद्दे प्रभाव डालते रहे हैं। शोध अध्ययन की प्रमुख परिकल्पनाएँ निम्नानुसार हैं - निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव के लिए मतदाताओं का जागरुक होना आवश्यक है। प्रजातंत्र में मतदान व्यवहार को उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक तत्व प्रभावित करते हैं। मतदान व्यवहार मतदाता की शिक्षा व रहन-सहन के स्तर से प्रभावित होता है। झूठी अफवाह व घटनाएँ, आर्थिक संसाधन तथा राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

डॉ.डी.एन.सूर्यवंशी* एवं छतर सिंह डेहरे**

प्रस्तावना :

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक एवं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान व्यवस्था एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। यहाँ अनेकता में एकता महत्वपूर्ण विशेषता को मान्य किया गया है। प्रारंभ में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम एवं द्वितीय आम चुनाव संपन्न हुए उस समय की प्रचलित व्यवस्था में मतदाता प्रत्याशी मतदान व्यवहार की स्थिति भिन्न थी, क्योंकि राजनीति में मानवीय मूल्य चोटी पर था। धीरे–धीरे राजनीति में तेजी के साथ मूल्यों का हास होता गया। राजनीति का अपराधीकरण होता गया एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका आदा करना प्रारंभ किया। तब से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में जाति, भाषा, क्षेत्रीयतावाद, धन–बल, लम्बे चौड़े घोषणा–पत्र, नारे एवं अनके अव्यवहारिक वादों ने मतदान व्यवहार को दिग्भ्रमित करके एक जटिल प्रक्रिया बना दिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी. एन. शेषन ने इस प्रक्रिया को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया, फिर भी यह पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कने उनके बहुत से प्रयासों पर पानी फेर दिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मतदाता जागरूक हो चुका है। उसे प्रलोभन, झूठे घोषणा पत्र तथा नारों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में अनेक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय में मुद्दे प्रभाव डाल रहे हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे – वर्तमान में गरीबी, मंहगाई, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार एवं अन्य स्थानीय मुद्दे मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

विश्व में प्रारंभ में राजतंत्र, कुलीनतंत्र, अधिनायकतंत्र जैसी व्यवस्थाओं ने मानवीय शोषण को बढ़ावा दिया, जिसमें मानव सर्वांगीण विकास अवरूद्ध था। इसलिए बढ़ती जन जागरूकता ने अंततः प्रजातंत्र जैसी लोकप्रिय व स्थायी व्यवस्था को जन्म दिया।

जब हम उनके राजनीतिक चिंतन एवं राजनीतिक व्यवस्था के संगठनात्मक एवं कार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, तो यह बात क्रमशः स्पष्ट होने लगती है कि संसदीय लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में वे अटूट आस्था रखते थे। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को ही आदर्श मानते थे। संविधान निर्माता इस धारा के माध्यम से एक ऐसे आयोग का निर्माण करना चाहते थे। जिसके सत्यापन में निर्वाचान तथा उत्तर निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के समस्त पहलुओं का नियमन एवं नियंत्रण किया जा सके। श्री अयंगर इसलिए उन्होंने एक अहम केन्द्रीय स्वतंत्र नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। एच. वी. पाटस्कर इस धारा में कुछ संशोधन चाहते थे। वे चाहते थे कि समस्त संघीय निर्वाचन के स्थान पर निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया जाये तथा संघीय निर्वाचन शब्दों को हटा दिया जाए। प्रांतीय संविधान के प्रारूप में सुझाये गए प्रावधान के समक्ष वाद–विवाद के लिए 18 जुलाई 1947 का लाए गए। सभा में के. एम. मुंशी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें प्रांतीय निर्वाचनों के राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक से निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधिकारी वाले वाक्यांश को हटा देने की बात कही गई थी। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि संघीय संविधान समिति ऐसे अखिल भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन पर सहमत हो गयी थी। जो संघीय तथा प्रांतीय दोनों के निर्वाचन का नियंत्रण कर सके।

29 जुलाई 1947 के वाद–विवाद के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने दृढ़तापूर्वक इस बात का समर्थन किया कि यदि निर्वाचन का दायित्व तत्कालीन कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाय तो अल्पसंख्यकों के बारे में अथवा निर्वाचन के बारे में किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जा

**शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*
***शोधार्थी, डॉ.सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)*

सकेगी। यदि निर्वाचन कार्यपालिका सत्ता के तत्वाधान में करवाये जाते हैं और यदि कार्यपालिका सत्ता को यह शक्ति प्राप्त है जैसी कि उसे होनी चाहिए कि वह अधिकारियों का स्थानातंरण एक स्थान से दूसरे स्थान को करें, और यदि वह ऐसे किसी सत्तारूढ़ दल अथवा तत्कालीन को किसी प्रिय उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए करती है, तो स्वतंत्र निर्वाचन जो कि हम चाहते हैं कि अतिक्रमण होगा। इसलिए वे चाहते थे कि निर्वाचनों की पवित्रता तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें प्रांतीय कार्यपालिका सत्ता से लेकर किसी स्वतंत्र सत्ता को सौंप देना चाहिए। इस प्रकार श्री पाटस्कर द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अधीन स्वीकार कर ली गई। 15 अगस्त 1947 के देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मान्य कर संसद व विधान सभा के निर्वाचन हेतु स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन आयोग के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

राजनीतिक महत्व :

छत्तीसगढ़ के निर्माण के पीछे छत्तीसगढ़ की मांग करने वाले विभिन्न जनप्रतिनिधियों का प्रमुख मुद्दा यह था कि अविभाजित मध्यप्रदेश के कुल राजस्व का 44 प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है और खर्च मालवा, बुंदेलखंड व बघेलखंड में होता है और छत्तीसगढ़ को एक पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र मानकर उसकी अपेक्षा होती रही है। अतः छत्तीसगढ़ का विकास प्रदेश निर्माण का प्रमुख मुद्दा था। अंततः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केन्द्र में भाजपा सरकार सत्तासीन हुई और छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया।

2003 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम आम चुनाव हुए। इस चुनाव में ऐसा प्रतीत हो रहा था। कि जोगी सरकार पुनः सत्तासीन होगी, क्योंकि अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ सदैव कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। परन्तु तत्कालीन राष्ट्रीय व राज्य स्तर के राजनैतिक घटनाक्रम जिसमें दिलीप सिहं जूदेव प्रकरण एवं जग्गी हत्याकांड व विधायकों की खरीदी कांड जैसे प्रकरणों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा, परिणामस्वरूप मतदाताओं ने आशा एवं अपेक्षा के विरूद्ध कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया एवं प्रदेश में भाजपा सरकार की ताजपोशी हुई व मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. रमन सिंह को नियुक्त किया गया।

डॉ. रमन सिंह के पिछले दस वर्षों के कार्यकाल की अनेक उपलब्धियाँ रही हैं। श्री रमन सिंह को इन दस वर्षों में देश के नम्बर एक मुख्यमंत्री के खिताब से नवाजा गया एवं राष्ट्र के सबसे उत्कृष्ट मुख्यमंत्री के रूप में भी पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्रों में रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अनके विकास कार्यों की शुरूआत हुई।

शोध का उद्देश्य :

जहाँ तक रायपुर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो यह क्षेत्र ग्रामीण बाहुल क्षेत्र है। जहाँ कृषकों की संख्या भी अधिक है। शिक्षा का स्तर कम है। इसलिए मतदाताओं पर आज भी ग्रामीण मुद्दे प्रभाव डालते रहे हैं।

(1) मतदाता पूर्व की तुलना में अधिक जागरूक हो चुके हैं।

(2) 2013 के विधानसभा चुनाव में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को सबसे अधिक किस तत्व ने प्रभावित किया।

(3) विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दे जिन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया, वे कितने प्रासंगिक थे।

शोध की परिकल्पना :

प्रस्तुत शोध निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है :

(1) निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव के लिए मतदाताओं का जागरूक होना आवश्यक है।

(2) प्रजातंत्र में मतदान व्यवहार को अनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक तत्व प्रभावित करते हैं।

(3) मतदान व्यवहार मतदाता की शिक्षा व रहन–सहन के स्तर से प्रभावित होता है।

(4) झूठी अफवाह व घटनाएँ, आर्थिक संसाधान तथा राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

संदर्भ :

(1) कोठारी, रजनी (1973) : पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टडीज, नई दिल्ली, पृष्ठ 45.

(2) जैन, पुखराज एवं फाड़िया, बी. एल. (1995) : भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, पृष्ठ 265.

(3) नारायण, इकबाल (1978) : लिंकेस एलीट्स एण्ड अलेक्शन, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृष्ठ 46.

(4) भंडारी, कुसुमलता (1988) : इंडियन इलेक्टोरियल रिकार्म्स, इलेक्शन आर्किगन, नई दिल्ली, पृष्ठ 60.

(5) वाजपेयी, अंतिमा (1992) : भारतीय निर्वाचन पद्धति एक समीक्षात्मक अध्ययन, नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली, पृष्ठ 50.

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Political Science
Research Link - 171, Vol - XVII (4), June - 2018, Page No. 77-78
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सचिव की कार्य प्रणाली का एक विश्लेषण

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया गया है। पंचायत एवं पंचायत के सचिव दोनों की क्षमता वर्धन जरुरी है, क्योंकि यदि पंचायतों के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं है, तो वे कैसे कार्य करेंगी। दूसरा यदि पंचायत प्रतिनिधियों को यही पता नहीं कि अमूक-अमूक कार्य कैसे करने हैं, तो जमीनी स्तर पर क्या करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम पाते हैं कि उन प्रस्तावित क्षमता वर्धन का मात्र 49.33 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। पंचायतों की क्षमता के सम्बंध में यह भी बताना समीचीन होगा कि लगभग 28 प्रतिशत पंचायतों के पास अपने स्वयं के ऑफिस की इमारत नहीं है और लगभग इतनी ही प्रतिशत पंचायतों की इमारतों की मरम्मत होनी है। पंचायतों के पास कार्यालय के लिए अपनी इमारत नहीं होने का अर्थ है, कि पंचायती राज या तो सरपंच/प्रधान की अलमारी में है या फिर ग्राम पंचायत के सचिव के थैले में है। पंचायतों का कार्यालय ही नहीं होगा, तो कहाँ पंचायत की बैठक होगी, कहाँ ग्राम सभा होगी। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के सुचारु रुप से संचालन के लिए ग्राम पंचायतों के सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

डॉ.(श्रीमती) निशा झा*, डॉ.ए.के. उपाध्याय एवं कन्हैयालाल ध्रुव*****

प्रस्तावना :

किसी भी देश में लोकतंत्र का विकास तभी संभव है, जब स्थानीय इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के शासन में सामान्य जन की सक्रिय भागदारी हो। यह भागीदारी ही लोकतंत्र का मापदंड निश्चित करती है। यह सब पंचायती राज के सफल कार्य सम्पादन एवं क्रियान्वयन से ही संभव है। स्थायी स्वशासन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई होती है, जिसमें जिला, नगर या गाँव की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं अंदर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक–कल्याण के लिए करते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में 73वाँ संविधान संशोधन लाया गया और इसे 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। इस संशोधन से संविधान के भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायत से सबंधित प्रावधन किए गए हैं, जिसमें 15 उप अनुच्छेद है। धारा 69 पंचायत के तीनों स्तर पर पंचायत के कार्यों में सहयोग एवं क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत में सचिव नियुक्ति का प्रावधान था ग्राम पंचायत के सचिव हेतु, उनके कार्यालयीन दैनिक कार्यो को सुचारू रूप से संचालन एवं व्यवस्थित ढांचा का स्वरूप देना होता है। कार्यालयीन काम–काज में गति प्रदान करना है। काम–काज को एक निश्चित अनुक्रम के अनुसार दिशा प्रदान करना एवं उचित माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया को अपनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय में एक सुव्यवस्थित कार्यालयीन व्यवस्था का वातावरण प्रदान करना एवं अपने आपको कार्यलय एवं अभिलेख प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का अनुकरण करके विकास करना होता है और क्षमता लाना है। हर पंचायत कार्यलय में एक अच्छी सुव्यवस्थित कार्यालयीन व्यवस्था का आवश्यकता महसूस किया जाता है, ताकि कार्यालयों में आवेदन पत्रों/अभ्यावेदनों का निपटारा एवं संधारण सुव्यवस्थित रूप से किया जाता है। ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर पुरानी नस्तियों का आसानी से प्राप्त किया जा सके। अतः वर्तमान में ग्राम पंचायत कार्यालय में व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय के ग्राम–पंचायत सचिव को अनेक कार्य करने होंगे, किन्तु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है – आम जनता में कार्यालय के प्रति बनी धारणा में सुधार लाना है। यह तभी संभव होगा, जबकि हम उनके प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। कार्यालय में नस्तियों का व्यवस्थित संधारण कर हम कार्य प्रवाह को सुगम बना सकते हैं। ग्राम पंचायत के काम काज पर ही पूरी पंचायत व्यवस्था आधारित होकर ग्रामीण विकास में सहायक होती है, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि मूलरूप से विकास में सहायक होती है, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि मूलरूप से विकास एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी हैं, किन्तु ग्राम पंचायत की प्रभावशीलता, ग्राम पंचायत सचिव पर निर्भर करती है। ग्राम पंचायत सचिव एक

*शोध निर्देशक एवं पूर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)
**सह-निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)
***शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)

ओर तो ग्राम पंचायत कार्यालय प्रमुख है और दूसरी ओर शासकीय कार्यों का निर्वहन करना वाला है। अतः उसे ग्राम पंचायत कार्यालय प्रक्रिया कार्यालयीन व्यवस्था तथा ग्राम पंचायत अधिनियम की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है।

शोध साहित्य का राजनीतिक महत्व :

छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायातों के ग्राम पंचायत सचिव बहुत ही कम वेतन मान से काम कर रहे हैं। इससे उनके सामने कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए पंचायत की सभी योजनाओं एवं कार्यालय में अभिलेख संधारण का कार्य एवं अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा है। पंचायती राज्य व्यवस्था में सचिव व सरपंच एक गाड़ी के दो पहिये के समान हैं, दोनों के तालमेल से ही ग्राम पंचायत का सही संचालन होता है। ग्राम पंचायतों में वित्तीय अधिकार सरपंच/सचिव दोनों के पास होते हैं। सचिव का कार्य ही सरपंच को सहयोग करना तथा सभी रिकार्डों का संधारण करना होता है। किसी भी प्रकार के बकाया वसूल भी दोनों से आधा–आधा किया जाता है। वर्तमान में सरपंच को अपने पास नगद दस हजार रूपये रखने का अधिकार है। पंचायतों में सचिवों को कार्य करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ट्रायबल ब्लॉक में सरपंच व पंच कम शिक्षित होते हैं। यहाँ तक कि वे साक्षर भी नहीं होते हैं। ट्रायबल ब्लॉकों में जिन पंचायतों में महिला सरपंच होती हैं, वहाँ सरंपच पति का ग्राम पंचायत का पूरा हस्तक्षेप रहता है। चूंकि महिला सरपंच कम पढ़ी–लिखी होती हैं, इस कारण ग्राम पंचायत के संचालन में कठिनाई होती है। आरक्षण के कारण सरपंच निर्वाचित हो जाते हैं, लेकिन वे मात्र हस्ताक्षर मास्टर होते हैं। इसलिए इन ग्राम पंचायतों में तालमेल का अभाव रहता है। ग्राम पंचायातों में सरपंच पद के लिए योग्यता कम से कम आठवीं पास होना अवश्यक है, तभी स्थानीय स्वशासन का सपना साकार होगा। दो दशकों के बाद भी पंचायतों स्वायत्त शासन की संस्थाएँ नहीं बन सकी। उनको सरकारों द्वारा वांछित अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान नहीं की जा सकी। इसका मुख्य कारण राजनैतिक इच्छा एवं नौकरशाही, इस सहयोग की कमी रहा है।

पंचायत एवं पंचायत के सचिवों दोनों की क्षमता वर्धन जरूरी है, क्योंकि यदि पंचायतों के पास पर्याप्त आधारभूत सरंचना नहीं है, तो वे कैसे कार्य करेंगी। दूसरा यदि पंचायत प्रतिनिधियों को यहीं पता नहीं कि अमूक–अमूक कार्य कैसे करने हैं, तो जमीनी स्तर पर क्या करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम पाते हैं कि उन प्रस्तावित क्षमता वर्धन का मात्र 49.33 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। पंचयातों की क्षमता के संबंध में यहाँ पर यह बताना भी उचित होगा कि लगभग 28 प्रतिशत पंचायतों के पास अपने स्वयं की ऑफिस की इमारत नहीं है और लगभग इतनी ही प्रतिशत पंचायतों की इमारतों की मरम्मत होनी है। पंचायतों के पास कार्यालय के लिए अपनी इमारत नहीं होने का अर्थ है, कि पंचायती राज या तो सरपंच/ प्रधान की अलमारी में है या फिर ग्राम पंचायत के सचिव के थैले में है। पंचायतों का कार्यालय हीं नहीं होगा, तो कहाँ पंचायत की बैठक होगी व कहाँ ग्राम सभा होगी। इन सभी कार्यों में ग्राम पंचायत के सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ग्राम पंचायत के सुचारू रूप से संचालन में ग्राम पंचायत के सचिवों का योगदान होता है। अपने कम अल्प वेतनमान के बावजूद सभी समस्याओं का सामना करते हुए वे अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) अध्ययन क्षेत्र के पंचायत सचिव की आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक स्थिति का अध्ययन करना।

(2) पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है।

(3) ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं अभिलेख प्रबंधन का अध्ययन किया गया।

शोध की परिकलपना :

(1) विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित विषय पर विभाग द्वारा स्थापित विषयों के अनुरूप कार्य संपादित कर सकेंगे।

(2) छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में सचिव निवास कमरे का निर्माण कर कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है।

(3) कार्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का संधारण में सुधार हो सकता है।

संदर्भ :

(1) अग्रवाल, प्रमोद कुमार (2003) : भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 45.

(2) द्विवेदी, डॉ. राधेश्याम (2005) : मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ पब्लिकेशन, भोपाल, पृष्ठ 50.

(3) मिश्रा, पी. एल. (1982) : दि पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, पृष्ठ 65.

(4) सिसौदिया, यतीन्द्र सिंह (2000) : पंचायती राज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 15.

(5) देसाई, बंसल (1990) : पंचायत राज : जनता को शक्ति, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई, पृष्ठ 112.

(6) दास, पुरषोत्तम महंत : छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, रवि पब्लिकेशन, जबलपुर, पृष्ठ 40.

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal : **Political Science**
Research Link - 171, Vol - XVII (4), June - 2018, Page No. 79-80
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

दुर्ग विधानसभा निर्वाचन 2014 में युवा मतदाताओं की भूमिका

प्रस्तुत शोधपत्र में दुर्ग विधानसभा निर्वाचन 2014 में युवा मतदाताओं की भूमिका का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 2014 की 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में दुर्ग जिले के 6.67 प्रतिशत युवा मतदाताओं को घोषणा पत्र ने प्रभावित किया, वहीं 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को विकास कार्यक्रम ने और 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रत्याशियों की छवि ने प्रभावित किया है। 3.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राजनीतिक दल की छवि व 6.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जातिवाद व क्षेत्रीयतावाद ने प्रभावित किया एवं 3.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तटस्थता बनाते हुए अपना मत व्यक्त नहीं किया।

डॉ.डी.एन.सूर्यवंशी* एवं श्रीमती संगीता मसीह**

नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि 'यदि किसी भी राष्ट्र या समाज को बर्बाद करना है, तो किसी भी प्रकार के हथियार या गोलाबारूद की आवश्यकता नहीं है। यदि वहाँ की युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं व मद्यपान की लत से जोड़ दिया जाए, तो वह राष्ट्र अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा।'

नेपोलियन बोनापार्ट की इस बात से स्पष्ट होता है कि किसी भी राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख स्रोत उसकी युवा शक्ति ही होती है। जो सभी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सैनिक एवं तकनीकी व शैक्षणिक व्यवस्था का मेरूदण्ड होती है। भारत को युवाओं का देश इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि भारत के अलावा 65 प्रतिशत युवा विश्व के किसी भी देश के पास नहीं है। भारत की विकास यात्रा संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से यदि आगे बढ़ती है, तो इसके ध्वज वाहक युवा ही हैं।

भारतीय लोकतंत्र की सफलता राजनीति एवं शासन तंत्र में जवाबदेही और कुशल प्रभाासन को लागू रखना है, तो समाज में योग्य, ईमानदार, देशभक्त युवाओं की फौज ही सफलता दिला सकती है। इसकी जिम्मेदारी प्राचीन काल से तत्कालीन नेतृत्व कर्ताओं के कंधों पर रही है। यह भी विशेष महत्वपूर्ण है कि युवा राजनीति केवल चुनाव लड़ने एवं मत देने तक सीमित न हो, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की समझ का विकास एवं उनके प्रति नकारात्मक सोच को दूर करने की कार्य नीति को तैयार करने की जरूरत होगी। पिछले चुनाव में नजर डालें, तो अस्थिर प्रकृति की सरकार बनी। युवा अपनी पहचान लोकतंत्र में स्थिर शासन की परिकल्पना को साकार कर लोकतंत्र के प्रति युवाओं की बढ़ती जागरूकता, निष्ठा, कर्तव्य, दायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका है, युवाओं में राजनैतिक सक्रियता का प्रभाव संचार एवं मीडिया भी रहा है।

लोकतंत्र शासन प्रणाली का उद्देश्य महान एवं आदर्शमय होता है, चाहे वह बुद्धजीवियों का हो या युवाओं का, परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होती है, क्योंकि तब से लेकर आज तक युवा ही ऐसा वर्ग है, जो परिवर्तन के लिए जागरूक रहता है। किसी देश के विकास की तकदीर युवाओं के मेहनत से ही लिखी और बदली जाती है।

आज लोकतंत्र में जागरूक युवाओं की आवश्यकता है। युवा जागरूक होकर जनमत तैयार करें, क्योंकि देश व समाज के विकास के लिए जरूरी है। इससे देश में परस्पर सहयोग और सहानुभूति की भावना बढ़ती है। इस शासन प्रणाली से सभी वर्ग के लोगों को चाहे वह बच्चे हो या जवान उनके हक की प्राप्ति संबंधी बातों पर बड़ी सजगता से काम किया जाता है। युवाओं के लिए यह शासन प्रणाली वरदान साबित होती है।

दिसम्बर 2017 में गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के साथ पाटीदार आरक्षण, पिछड़े वर्ग को आरक्षण एवं दलित वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर तीन युवा नेताओं ने राहुल गाँधी के नेतृत्व में पूरे राज्य के चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया था एवं युवाओं की नेतृत्व क्षमता एवं जनजागरूकता का परिचय देते हुए यह साबित किया है कि अब आने वाले भविष्य में युवा वर्ग जो भारत की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत है, उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता और वह मतदान व्यवहार को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है । अतः अब किसी भी राज्य में मतदान व्यवहार में युवा वर्ग सबसे अग्रणी और प्रभावी तत्व के रूप में रेखांकित हो चुके हैं। दुर्ग लोकसभा 2014 के चुनाव में यहाँ के स्थानीय युवाओं ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से 1 सीट कांग्रेस को दिलाई। इसके पीछे युवाओं का आक्रोश, चुनाव के समय भाजपा प्रत्याशी के विरूद्ध स्पष्ट रूप से एकजुट होकर परिणाम को

**शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*
***शोधार्थी, सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*

प्रभावित करने में सफल रहा है।

दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार/प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त अभिमत के आधार पर किया विश्लेषण तैयार किया गया है, जो इस प्रकार है :

तालिका : वर्ष 2014 की 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में दुर्ग जिले के युवा मतदाताओं प्रभावित करने वाले कारक

क्रमांक	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	घोषणा पत्र	20	6.67
2	विकास कार्यक्रम	90	30
3	प्रत्याशी की छवि	120	40
4	राजनीतिक दल की छवि	10	3.33
5	जातिवाद एवं क्षेत्रीयतावाद	20	6.67
6	इनमें से कोई नहीं	10	3.33
	कुल	**300**	**100.00**

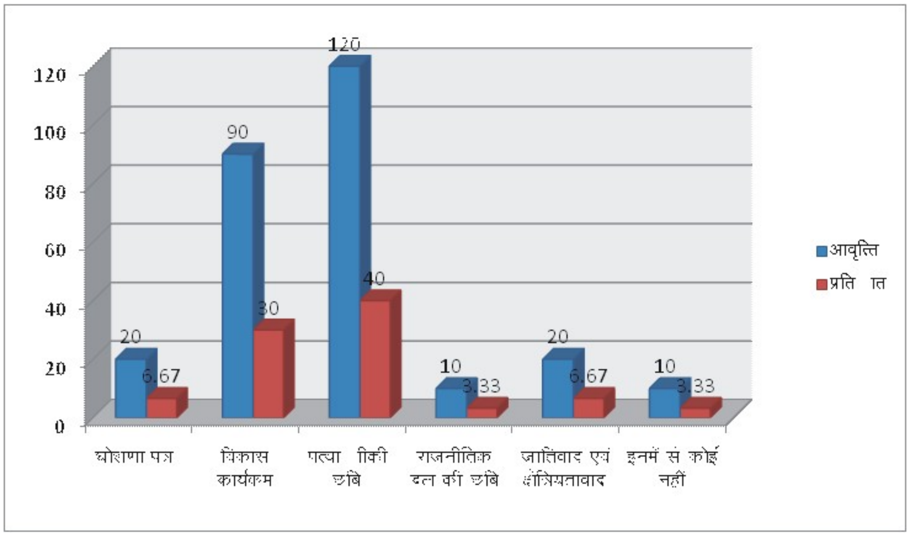

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययनगत उत्तरदाताओं में 6.67 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि 2014 की 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में दुर्ग जिले के युवा मतदाताओं को घोषणा पत्र ने प्रभावित किया। वहीं 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को विकास कार्यक्रम ने, एवं 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रत्याशी की छवि ने और 3.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राजनीतिक दल की छवि व 6.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जातिवाद व क्षेत्रीयतावाद ने प्रभावित किया एवं 3.33 प्रतिशत उत्तरदाता ने तटस्थता बनाते हुए अपना मत व्यक्त नहीं किया।

अध्ययन क्षेत्र में युवा मतदाताओं को प्रभावित होने के अध्ययन पर ज्ञात हुआ कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक युवा मतदाताओं को प्रत्याशी की छवि ने प्रभावित किया। आज के युवा मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्रीयता से हटकर अपने नेतृत्वकर्ता के चुनाव में उनकी छवि व विकास को अधिक महत्व देते हैं।

संदर्भ :

(1) खाँ, रसीदुद्दीन (1998) : डेमोक्रेसी इन इंडिया, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली पृ. 166.

***(2)** प्रकाश, वीरेन्द्र (2002) : भारत में सामाजिक परिवर्तन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 167.*

***(3)** कोठारी, रजनी (1970) : कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स, ओरिएण्ट लागमैन, नई दिल्ली, पृ. 68.*

***(4)** मोदी, एम.पी. एवं मोदी, सरोज (2007) : भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ. 70.*

***(5)** नेमा, जी. पी. राजेश एवं शर्मा हरिशचंद्र (2008) : भारत में राज्यों की राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ.173.*

❀❀

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal :
Political Science
Research Link - 171, Vol - XVII (4), June - 2018, Page No. 81-82
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद राजनैतिक व प्रशासनिक विकास (रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद राजनैतिक व प्रशासनिक विकास का अध्ययन, रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। अध्ययन हेतु रायपुर जिले के उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है। शोध अध्ययन में रायपुर जिले के विभिन्न विकासखण्ड से राजनैतिक एवं प्रशासनिक विकास के बारे में साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार द्वितीयक तथ्यों का संकलन किया गया है।

डॉ.(श्रीमती) अल्का मेश्राम*, डॉ.(श्रीमती) वेदवती मंडावी एवं अजय कुमार भतपहरी*****

प्रस्तावना :

किसी भी देश का प्रशासनिक तंत्र वहाँ की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। प्रशासन तंत्र की स्थिति का सिद्धान्त भी यही मानकर चलता है कि प्रशासन तंत्र बाह्य वातावरण से न केवल प्रभावित होता है, बल्कि बाह्य वातावरण को प्रशासन तंत्र प्रभावित भी करता हं। परिवर्तन सृष्टि का प्राकृतिक नियम है, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी समयानुसार परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन वे अपने ऐतिहासिक एवं समसामयिक सन्दर्भो से विलग नहीं हो सकता है। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक तंत्र की बहुत–सी विशिष्टताएँ हैं।

सभी सामाजिक संस्थाओं में राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्राकृतिक संस्था है। जहाँ मनुष्य रहते हैं, वहाँ सगंठन एवं सत्ता स्वाभाविक है तथा जहाँ सत्ता एवं संगठन है, वहाँ बीज रूप में राज्य विद्यमान है। राज्य मानवीय विकास एवं समृद्दि के लिए आवश्यक हैं। यूनानी विचारक इसे प्राकृतिक एवं आवश्यक संस्था मानते थे। अरस्तु के अनुसार राज्य का उदय व्यवस्था एवं शांति के लिए हुआ था, परन्तु सद् जीवन की प्राप्ति के लिए वह कायम है। राज्य, सभ्यता का सृजनकर्ता है। सामाजिक सहयोग एवं सामूहिक प्रयत्न विकास की एक अवस्था में राज्य के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। राज्य शाश्वत् संस्था है। इस अर्थ में यह अन्य अनेक मानवीय समुदायों से भिन्न है।

अध्ययन विषय का राजनीतिक महत्व :

प्रजातांत्रिक व्यवस्था जहाँ कहीं भी लागू की गई है, उसमें विकास की अवधारणा प्रमुख बिन्दू रहा है, जिसके अंतर्गत राजनैतिक विकास और प्रशासनिक विकास पर ही सबसे अधिक जोर दिया जाता है। छ.ग. राज्य के निर्माण की बुनियाद ही विकास को आधार मानकर की गई है। अतः प्रजातांत्रिक ढांचे में ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक यही प्रक्रिया दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व जो विकास के सपने लोगों ने देखे थे, इस दृष्टिकोण से छ.ग. ने केवल 17 वर्ष की उम्र में विकास के मार्ग की ओर ऊँचाइयों को छुआ है, जिसमें बहुत कुछ राजनैतिक विकास, प्रशासनिक विकास काफी हद तक पूरा किया है और शेष चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर है। यह प्रयास किया गया कि राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में राजनैतिक और प्रशासनिक विकास जो आज भी पिछड़ा है, उसे दूर करने के लिए उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं, जिसमें महिला, युवक, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक योजनाएँ व कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजना ने पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के लिए ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त किया है। अतः राजनैतिक महत्व की प्रासंगिकता में वृद्धि हुई है।

क्या आरक्षण नेतृत्व को उचित दिशा प्रदान करने में सफल रहा है। यह भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास किया जा रहा है, क्या राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास जन जागरूकता में वृद्धि हो रही है। इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, यह भी अध्ययन का महत्वपूर्ण बिन्दु होगा।

शोध – साहित्य का पुनरावलोकन :

प्रस्तुत शोध अध्ययन को दिशा प्रदान करने हेतु निम्न शोध साहित्य का पुनरावलोकन किया गया है :

**शोध-निर्देशक एवं प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़)*
***सह-शोध निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, शासकीय वी.वाय.टी.स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)*
****शोधार्थी, शासकीय वी.वाय.टी.स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)*

(1) लावन्या, सुरेश (2013) ने बताया है कि भारत में आजादी के बाद से लेकर प्रशासनिक सुधार लाने के लिए एक लम्बे समय से प्रक्रिया चल रही है। 31 अक्टूबर 2013 को भारतीय कार्यकारी ने कार्मिक प्रबंधन के बारे में ठोस कदम उठाया है।

(2) यादव, सुषमा (2009) के अनुसार सरकार ने 1970 के दभाक में ई–शासन को अपनाया था। 1980 के दशक में सभी जिला मुख्यालयों से ई–शासन को जोड़ा गया तथा 1990 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया है। अतः ई–शासन के माध्यम से प्रभाासनिक विकास हुआ है।

(3) शर्मा, आलोक अग्निहोत्री, विवेक कुमार (2001) ने भारत में नागरिक चार्टर की पहल को पाँच वर्ष पहले शुरू कर दिया था, लेकिन एक निर्णय के आधार पर अतिरिक्त घटक के रूप में ब्रिटेन मॉडल को अपनाया गया। केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकारी एंजेसियों के परामर्श से चार्टर्स निर्माण के लिए नागरिकों एवं उपभोक्ता समूहों को शामिल किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

(1) छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद राजनैतिक विकास तेज गति से हुआ है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद प्रशासनिक विकास में गति आई है।

(3) छत्तीसगढ़ में जिलों के पुनर्गठन के बाद राज्य के विकास की गति तेज हुई है।

शोध परिकल्पना :

प्रस्तुत भाोध के लिए निम्न परिकल्पना निर्धारित की गई है :

(1) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से लोगों को लाभ मिल सकता है।

(2) राजनैतिक दृष्टि से ग्रामों और नगरों में एक तरह से नई जागृति आ रही है।

(3) पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण से विकास की गति तेज होगी।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त अध्ययन :

प्रस्तुत अध्ययन "छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद राजनीतिक व प्रशासनिक विकास का राजनैतिक विश्लेषण" विषय पर आधारित है। रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। यह नगर मुंबई हावड़ा रेल्वे मार्ग पर स्थित है। रायपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 16034 वर्ग कि.मी. है। यह नगर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ राज्य सचिवालय, विधानसभा, राजभवन, पुलिस मुख्यालय, शिक्षा संचालनालय, स्वास्थ्य, संचालनायय, महालेखाकार, कलेक्ट्रेट इत्यादि प्रशासनिक इकाइयाँ स्थापित हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अम्बेडकर चिकित्सालय (मेकाहारा), एम्स, जिला चिकित्सालय, आई.आई.एम, रामकृष्ण केयर, आदि स्थापित है। यहाँ शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर, चिकित्सा विश्वविद्यालय, रायपुर, एन.आई.टी, रायपुर, मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर इत्यादि शिक्षा के प्रमुख केन्द्र हैं।

उत्तरदाताओं का चुनाव :

प्रस्तुत शोध के अध्ययन के लिए रायपुर जिले के उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

तथ्य संकलन के उपकरण एवं प्रविधि :

शोध अध्ययन में रायपुर जिले के विभिन्न विकासखंड से राजनैतिक एवं प्रभाासनिक विकास के बारे में साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार द्वितीयक तथ्यों का संकलन किया गया है।

संदर्भ :

(1) यादव, सुषमा : भारत में ई–शासन लागू : प्रशासनिक सुधार एजेंडे की खोज, पॉलिटिकल साइंस इंडियन, जुलाई–सितम्बर 2009, वॉल्यूम 70, अंक 3, पृष्ठ 679–692.

***(2)** सुरेश, लावन्या (2013) : एक निश्चित अवधि प्रणाली, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 2013/11/30, वॉल्यूम 48, अंक 48, पृष्ठ 16–18.*

***(3)** शर्मा, आलोक व अग्निहोत्री, विवेक कुमार : लोक प्रशासन में नए घटनाक्रम। नागरिक चार्टर : भारतीय अनुभव, प्रशासनिक विज्ञान के इंटरनेशनल की समीक्षा, दिसम्बर 2001, वॉल्यूम 67, अंक 4, पृष्ठ 733–739, एवं 7.*

***(4)** देसाई, मनाली : पार्टी के गहन, राजनीतिक शक्ति और क्षमता के सुधार केरल में वाम दलों और पश्चिम बंगाल भारत की तुलना सामाजिक ताकतें, सितम्बर 2001, वॉल्यूम 80, अंक 1, पृष्ठ 37–60.*